न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 52 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. बाबुराम पुत्र हरदारा 2. नाथीदेवी पत्नी हरदारा 3. गाहिंगा पुत्र देवाराम 4. लक्ष्मणा पुत्र देवाराम 5. माला पुत्र देवाराम 6. केसाराराम पुत्र देवाराम जातियान कलबी निवासी लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह 2. मोहनसिंह पुत्र भीमसिंह 3. हरिसिंह पुत्र श्री भीमसिंह 4. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह 5. मालमसिंह पुत्र भीमसिंह 6. सागरकंवर पत्नी भीमसिंह 7. शम्भुसिंह पुत्र वीरसिंह 8. कल्याणसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राफजूत 9. हठाराम पुत्र सुजाराम 10. सांवलाराम पुत्र सुजाराम 11. भावाराम पुत्र सुजाराम 12. हराराम पुत्र सुजाराम 13. वरजंगाराम पुत्र उकाराम 14. पाताराम पुत्र वदाराम 15. नारणराम पुत्र वदाराम 16. सांवलाराम पुत्र वदाराम 17. गंगाराम पुत्र वदाराम 18. धर्मी पत्नी वदाराम जाति कलवी निवासी लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 19. मैनजर एस बी बी जे गुड़ामालानी 20. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 194 / 2015 बआनवान भीमसिंह बनाम शम्भुसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गंगाराम विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा लुणवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जागीर में खेत खसरा नम्बर 551 रकबा 60.02 बीघा आई हुई, इसमें आने जाने हेतु राजकीय कटान मार्ग नहीं है मेरे खेत के पाडौस खेत खसरा नम्बर 548 रकबा 03.14 बीघा, खसरा नम्बर 544 रकबा 20.01 बीघा व खेत खसरा नम्बर 547 रकबा 45.14 बीघा में से ही आ जा सकते है तथा इसका उपयोग कई वर्षों से कदीमी रास्ते के रूप में करते आ रहे है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में पक्षकार प्रतिवादी खेताराम का स्वर्गवास हो चुका था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की आराजी को दो भागों में विभक्त किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अध्याय 12 जोडा गया है उसमें जोडे गये नियम 68 के अन्तर्गत न तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक सारी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निरतारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 20.01.2022 में स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 551 से सरकारी कटाण मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 548, 547, 544 में से रास्ता चाहा गया था। आवेदन पश्चात वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 548/1, 548/2, 537, 538, 539 व 547 मे से क्रमशः 0.0486है., 0.0243 है., 0.0405 है., 0.0647 है., 0.1052 है. व 0.0728 है. भूमि खातेदारान द्वारा स्वेच्छा से रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवाने से वादी के सरकारी कटाण मार्ग तक पहुंचने मे खसरा नम्बर 544 मे से गुजरना ही सबसे नजदीकी विकल्प है। इसके अलावा कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 544 के अलावा कोई अवरोध नहीं है। वादी के कटाण मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 544 में से गुजरना ही सबसे नजदीकी विकल्प है। इसके अलावा कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 544 के काश्तकार द्वारा खसरा नम्बर 543 की लगती हुई मेड़ जिस पर पूर्व में रास्ता प्रस्तावित था, रास्ता रोकने की नीयत से टांका व सीणे खड़ी कर ओरड़ी का निर्माण कर दिया गया है। खसरा नम्बर 544 के काश्तकार खातेदार द्वारा भूमि का आपसी बंटवाड़ा कर अलग–2 खेत बना कर मेड़ बना दी गयी है। रास्ता हेतु नजदीकी विकल्प खसरा नम्बर 544 मे से होने से खसरा नम्बर के काश्तकार के आपसी बंटवाड़ा खेत के मध्य बनी मेड़ के सहारे–2 रास्ता प्रस्तावित है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 194/2015 बअनवान भीमसिंह बनाम शम्भुसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पालीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर